भागीरथ राम (आर.टी.एस.)

दिनांक 25.9.17

मि0न027 / 17

निर्णय

सरकार बनाम ओमदत्त वगै0

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का बनेठी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि संवत 2074 में वाके ग्राम बनेठी के खसरा नंबर 880 / 2. 0हैकिस्म जमीन गै0मु0पहाड में से 1.0है0 पर ओमदत्त, कृष्णदत्त पुत्रान देवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी बनेठी ने फसल बाजरा कास्त कर अतिक्रमण कर लिया है

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल सामिल पत्रावली किये गये। सूचना परान्त गैर सायलान उपस्थित आये । गैरसायलान ने उक्त आराजीयात पर मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया लेकिन कोई जवाब ,साक्ष्य पेश नहीं किया । अतः पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों , पटवारी रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि ग्राम बनेठी के खसरा नंबर 880 / 2.0है0 किस्म जमीन गै0मु0पहाड पर गैरसायलान ओमदत्त,कृष्णदत्त पुत्रान देवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली द्वारा फसल बाजरा कास्त अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है।जिसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं।

अतः गैर सायलान ओमदत्त ,कृष्णदत्त पुत्रान देवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी बनेठी को वाके ग्राम बनेठी के खसरा नंबर 880 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड पर अतिकमि घौषित करते हुए उक्त आराजीयात पर फसल कास्त बाजरा को कब्जेराज लेकर सरे आम निलाम किया जाकर भोतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2रू का पचास गुणा 100रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामी,बेदखली, पैलन्टी वसूली हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.9.17 को सर्रे इजलास सुनाया गया।

वर्ष 2017-18 के पृष्ठ संख्या 62.. पर ...10072 रुपये कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)